अध्याय XXIII : लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन

23.1 लंबित ए.टी.एन. की स्थिति

लोक लेखा समिति के बार-बार निर्देशों/अनुशंसाओं के बावजूद, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी 44 लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर उपचारात्मक/सुधारात्मक कार्रवाई टिप्पणि प्रस्तुत नहीं की। तथापि, पिछले पाँच वर्षों के लंबित ए.टी.एन. की स्थिति में प्रत्यक्ष सुधार था।

लोकसभा सचिवालय ने अप्रैल 1982 में सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किया कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सदन के पटल में रखे जाने के तुरंत बाद में शामिल विभिन्न पैराग्राफों पर दर्शायी उपचारात्मक/सुधारात्मक की गयी कार्यवाही पर टिप्पणी वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) को प्रस्तुत करें।

22 अप्रैल 1997 को संसद में प्रस्तुत अपने नवें प्रतिवेदन (ग्यारहवीं लोकसभा) में, लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) ने इच्छा व्यक्त की, कि मार्च 1994 तथा 1995 को समाप्त वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित लंबित कार्रवाई टिप्पणि (ए.टी.एन.) की प्रस्तुती तीन महिनों की अवधि के भीतर पूर्ण होनी चाहिए तथा अनुशंसा की कि मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के बाद के वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित ए.टी.एन. संसद में प्रतिवेदनों के रखे जाने से चार महीनों के भीतर प्रस्तुत की जाए।

लेखापरीक्षा ने पी.ए.सी. के निरंतर सलाह और दिशानिर्देश के साथ लंबित ए.टी.एन. की स्थिति में लगातार गिरावट का रूख पाया जैसा कि निम्नलिखित चार्ट में परिलक्षित होता है :-

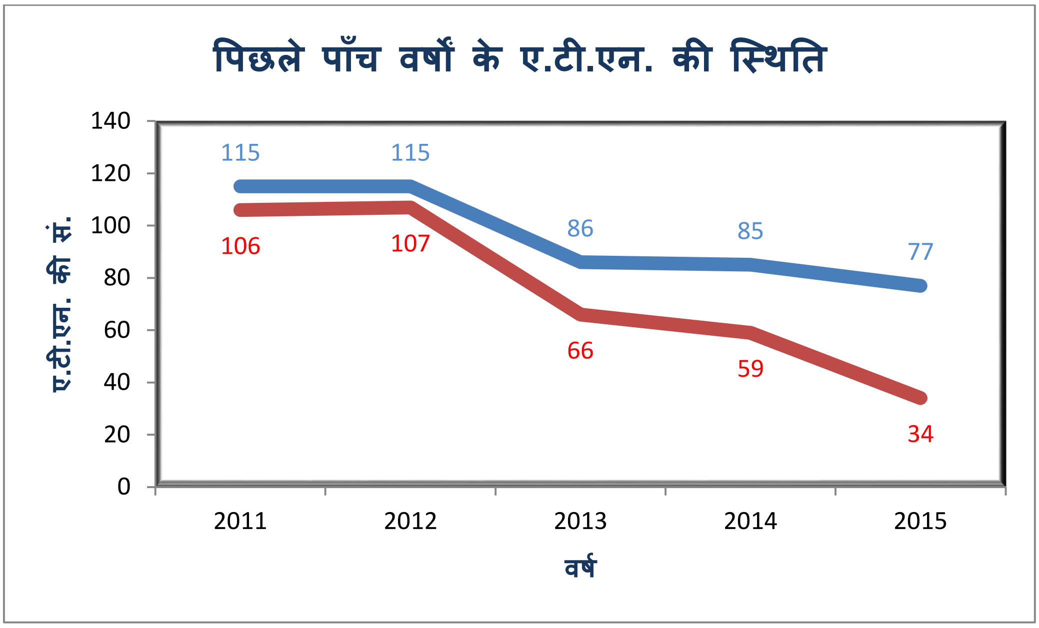

वर्ष 2011 में 261 से वर्ष 2015 में 111 तक लंबित ए.टी.एन. की संख्या में गिरावट % 57 प्रतिशत था। 31 दिसम्बर 2015 को समाप्त अवधि तक लंबित ए.टी.एन. की मंत्रालय-वार स्थिति **परिशिष्ट-XIII** में दी गई है। जिन 111 पैराग्राफों पर ए.टी.एन. भेजा जाना आवश्यक था उनमें से, 44 पैराग्राफों के संबंध में ए.टी.एन. पूर्णतया प्राप्त नहीं हुई थी।

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता, संस्कृति मंत्रालय से संबंधित एक विशिष्ट मामला नीचे प्रतिवेदित किया गया है:-

23.1.1 "राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता की क्रियाकलापों" के संबंध में स्वीकृत लेखापरीक्षा अनुशंसाओं पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा पर प्रतिवेदन (सी.ए.जी. के वर्ष 2010-11 के प्रतिवेदन सं. 3 अध्याय-I)

पुस्तकालय तथा मंत्रालय ने 2010-15 के दौरान मुख्य रूप से भारत में प्रकाशित पुस्तकों के डाटाबेस का निर्माण, पुस्तकों का तीव्र प्रकाशन, सभी मंडलों के स्टॉक सत्यापन का संचालन, सुरक्षा को मजबूत करना, पाठकों को विभिन्न मूल्य वर्धित सेवा उपलब्ध कराना तथा सभी ग्रंथसूची रिकॉर्ड का पूर्व रूपांतरण से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा की स्वीकृत अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में पर्याप्त कदम नहीं उठाए।

23.1.1.1 परिचय

राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता (पुस्तकालय) भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है। संस्कृति मंत्रालय (एम.ओ.सी.) भारत सरकार के अधीनस्थ कार्य करते हुए डिलवेरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के तहत प्रकाशित सामग्रियों के लिए भंडार पुस्तकालय, कोलकाता के क्रियाकलापों के संबंध में 2004-05 से 2009-10 तक की अवधि के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। इस संबंध में 2010-11 की अवधि के लिए सी.ए.जी. रिपोर्ट सं.-3 में 30 स्वीकृत अनुशंसाओं के साथ समाहित किया गया था। 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए स्वीकृति अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के लिए पुस्तकालय द्वारा लिए गए सुधारात्मक उपायों के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए मई और जून 2015 अवधि के दौरान स्वीकृति अनुशंसाओं के आधार पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा की गई थी।

23.1.1.2 स्वीकृत अनुशंसाओं की अनुपालना

स्वीकृत अनुशंसाओं की अनुपालना की स्थिति और लेखापरीक्षा के निष्कर्षों का विवरण तालिका-1 में दिखाया गया है।

तालिका-1

पी.ए.आर.[1] की पैरा सं.	संस्वीकृत अनुशंसा 2010-11 की रिपोर्ट सं.3	अनुपालना की स्थिति	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1.8.1 अधिग्रहण **1.8.1.1 जमा विधि के तहत भारत में प्रकाशित पुस्तकों का अधिग्रहण**	राष्ट्रीय पुस्तकालय को देश में सभी महत्वपूर्ण प्रकाशनों से पुस्तकों का राष्ट्रीय पुस्तकालय में परिदान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करनी चाहिए और	महत्वहीन प्रगति	पुस्तकालय ने न तो पुस्तकों के गैर-वितरण की निगरानी के लिए कोई प्रभावी प्रणाली बनाई या दोषी प्रकाशकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू की और न ही मंत्रालय ने डी.बी. एक्ट के प्रावधानों के प्रभावी 2013[2] में प्रकाशित पुस्तकों (इंटरनेट पर

1 राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता के क्रियाकलापों पर 2010-11 के निष्पादन लेखापरीक्षा सं.-3 से संदर्भित पैरा

2 2004-13 के दौरान प्रकाशित भारतीय भाषा किताबों से संबंधित डाटा मौजूद नहीं है।

	डी.बी. एक्ट के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय पुस्तकालय को पुस्तकों का परिदान नहीं करने वाले प्रकाशकों के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।		मौजूद) के डाटा के आधार पर लेखापरीक्षा ने पाया कि मार्च 2015 तक केवल 27 प्रतिशत पुस्तकों की प्राप्तियां की गई। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एक्जिट कांफ्रेंस में कहा कि डिपाजिट ऑफ बुक्स, न्यूज-पेपर्स एंड इलेक्ट्रोनिक पब्लिकेशन इन लाइब्रेरी बिल नामक मसौदा बिल तैयार किया गया है और इसे संसद में प्रस्तुत करने से पहले एवं कैबिनेट के अनुमोदन से पूर्व एम.ओ.सी. के वेबसाईट पर डाला गया है ताकि आम जनता की राय द्वारा अंतिम रूप दिया जा सके।
	केन्द्र सरकार को इस एक्ट के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन को सक्षम बनाने के लिए तुरंत जांच करनी चाहिए तथा डी..बी. एक्ट के अनुच्छेद 8 के तहत नियम बनाने चाहिए।		
	पाठकों के लाभ एवं डी.बी. एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय को प्राथमिकता के आधार पर भारत में प्रकाशित किताबों के डाटाबेस का निर्माण तथा नियमित रूप से उसे अद्यतन करना चाहिए।	कोई प्रगति नहीं	पुस्तकालय ने भारत में प्रकाशित किताबों का कोई डाटाबेस तैयार नहीं किया। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एक्जिट कांफ्रेंस में कहा कि उपरोक्त मसौदा बिल में अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है जिससे प्रकाशकों के डाटाबेस के निर्माण में सरलता आएगी।
1.8.1.2 अंग्रेजी में विदेशी प्रकाशित प्रकाशनों का अधिग्रहण	राष्ट्रीय पुस्तकालय को इसके संग्रह में अंतराल को चिन्हित करना चाहिए तथा तदनुसार किताबों की खरीद करनी चाहिए।	आशिंक रूप से क्रियान्वित किया गया	पुस्तकालय मौजूदा संग्रह में अंतराल को चिन्हित करने में असफल रहा जिससे किताबों के चयन/क्रय प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी/ प्रतिस्पर्धात्मक बनाने में असफलता हुई। लेखापरीक्षा में पाया गया कि

	किताबों के चयन और क्रय प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक होना चाहिए। किताबों के क्रय में, पुस्तकालय को उचित बाजार का सर्वेक्षण करना चाहिए और अन्य पुस्तकालयों के संपर्क में रहना चाहिए ताकि विभिन्न प्रकाशकों द्वारा दिए जा रहे छूट को जाना जा सके और तदनुसार बिडिंग प्रक्रिया और किताबों के प्रापण के लिए प्लेसमेंट आदेश में उन इनपुटों का ध्यान रहे।		6779 किताबों के क्रय में से पुस्तकालय को 97.09 प्रतिशत किताबों पर फ्लैट 15 प्रतिशत तथा शेष पर 25-30 प्रतिशत की छूट मिली। अनुवर्ती लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाने पर पुस्तकालय ने (अगस्त 2015) राष्ट्रीय पुस्तकालय की शासकीय वेबसाइट पर सूचीबद्ध वेंडरों की सूची अपलोड की। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एंग्जिट कांफ्रेस में आश्वस्त किया कि संग्रह विकास नीति को जमा करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय को निदेश दिए जाएंगे।
1.8.1.4 **पत्रिकाओं का अधिग्रहण**	ऑनलाइन पत्रिकाएँ प्रकाशक के सर्वर में स्टोर की जा सकती है और उस आई.पी. क्षेत्रान्तर्गत पुस्तकालय के टर्मिनल अथवा लैपटाप द्वारा अभिगम किया जा सकता है। पाठकों को ऑनलाइन सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से मौजूदा आई.टी. अवसंरचना का अधिकतम उपयोग करना चाहिए।	अनुशंसाए क्रियान्वित की गईं।	
1.8.2 प्रक्रमण क्रियाकलाप	राष्ट्रीय पुस्तकालय को विभिन्न भाषा प्रभागों में श्रमशक्ति की समीक्षा करनी चाहिए ताकि किताबों की तेज गति से प्रक्रमण को	कोई प्रगति नहीं	पुस्तकालय विभिन्न भाषा प्रभागों में श्रमशक्ति की समीक्षा करने और युक्तिसंगत बनाने में असफल रहा। यह पाया गया कि सं.पु.स.अ.[3] के 9 पदों में 6 को भारतीय भाषा प्रभाग में पदों के

[3] सहायक पुस्तकालय सूचना अधिकारी

1.8.2.1 भारतीय भाषाओं की किताबों का प्रक्रमण	सुविधाजनक बनाया जा सके और इसके कुछ प्रभागों में श्रमशक्ति की कमी को दूर किया जा सके।		नहीं भरे जाने के कारण समाप्त कर दिया गया। मंत्रालय ने एग्जिट कांफ्रेंस (मार्च 2016) में कहा कि उन्होंने समाप्त समझे जाने वाले पदों के लिए प्राफेशनल की नियुक्ति को स्वीकृति दे दी और आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थिति की समीक्षा करने तथा उपलब्ध श्रमशक्ति का अच्छे तरीके से उपयोग करने के निदेश जारी कर दिए जाएंगे।
	लैन द्वारा डाटा शेयर करते हुए समयबद्ध तरीके से प्रक्रमण, सूचीबद्ध, परिग्रहण अभिस्वीकृति, क्रय की संपूर्ण प्रक्रिया कम्प्यूटराइज की जानी चाहिए।	मामूली प्रगति	पुस्तकालय लैन द्वारा डाटा शेयर करने तथा कम्प्यूटरीकरण में असफल रहा। लेखापरीक्षा ने पाया कि परिग्रहण, अभिस्वीकृति और सूची बनाने आदि का कार्य हाथ से ही किया जाता है जिससे कार्य की अनुलिपिकरण/ओवरलैपिंग हुई।
	राष्ट्रीय पुस्तकालय को निर्धारित समय सीमा के भीतर किताबों के परिग्रहण के संग्रह को हटाने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने चाहिए। नये किताबों का तुरंत प्रक्रमण कर पाठकों के लिए उपलब्ध कराना चाहिए।		पुस्तकालय न केवल अप्रकाशित किताबों के संग्रह को हटाने में असफल रहा बल्कि 2010-15 के दौरान प्राप्त किताबों को प्रक्रमित नहीं किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि अगस्त 2015 तक पुस्तकालय के पास 4.84 लाख[4] अप्रक्रमित किताबे मौजूद थी। मंत्रालय ने एक्जिट कांफ्रेंस (मार्च 2016) में आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को पहले से ही स्वीकृत प्रोफेशनलो का उपयोग करने के लिए निदेश दिए जाएंगे।
1.8.2.2 विदेशी भाषाओं में किताबों का प्रक्रमण (प्रोसेसिंग)	विदेशी भाषा संग्रह में लैग के प्रक्रमण को दूर करने के लिए विश्वविद्यालयों और अन्य शिक्षण संस्थाओं से विदेशी	कोई प्रगति नहीं	पुस्तकालय ने विदेशी वाणिज्य दूतावास सांस्कृतिक सेंटर्स और विभिन्न विश्वविद्यालयों से संपर्क करने के लिए कोई कार्रवाई शुरू नहीं की। यद्यपि

[4] भारतीय भाषा की किताबों सहित

	भाषा के विशेषज्ञों एवं विद्यार्थियों से आउटसोर्स द्वारा उनकी मदद ली जा सकती थी।		पुस्तकालय ने विशेषकर विदेशी भाषा प्रभाग में (जनवरी 2016) विशेषज्ञों की अनुपलब्धता की जिम्मेदार ठहराया, फिर भी पुस्तकालय ने इन पदों को भरने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और इन पदों को समाप्त माना गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 72233 किताबें प्रक्रमित नहीं हुआ। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एग्जिट कांफ्रेंस में कहा कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को इन पदों को पुनर्जीवित करने हेतु एक प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया जाएगा और इसी बीच आउटसोर्सिंग द्वारा इस कार्य को पूरा करें।
1.8.3 परिरक्षण पद्धतियां, **1.8.3.1 दर्लभ किताबों की ट्रीटमेंट**	"दुर्लभ वस्तुओं" को दोबारा परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। पुस्तकालय में दुर्लभ मुद्रित सामग्रियों के लिए एकल परिग्रहण पंजिका की तैयार किए जाने पर तुरंत ध्यान देना चाहिए।	आंशिक रूप से क्रियान्वित	पुस्तकालय दुर्लभ किताबों की पहचान के लिए मानदंडों को अंतिम रूप देने में असफल रहा। पुस्तकालय द्वारा बनाई गई समिति ने 2012 से पहले के मानदंडों के सेट के साथ ज्ञात दुर्लभ किताबों की सूची बनाई। यद्यपि मूल दस्तावेज को आज (जनवरी 2016) तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। मंत्रालय ने एक्जिट कांफ्रेंस (मार्च 2016) में आश्वासन दिया कि कॉपीराईट से बाहर प्रत्यक्ष स्थिति और किताबों की पुरातनता के आधार पर दुर्लभ किताबों की पहचान के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय को निर्देश दिए जाएंगें।

1.8.3.2 संग्रहो का डिजीटाईजिंग	सू.प्रौ. विशेषज्ञों को हायर करने के लिए सृजित स्वीकृति पदों को भरा जा सकता है और संपूर्ण डिजीटाईजेशन प्रक्रिया की उच्चतम स्तर पर निगरानी की आवश्यकता है। प्रक्रियात्मक देरी से बचने के लिए मंत्रालय को विशेष ध्यान देने की जरूरत होगी	आंशिक रूप से क्रियान्वित	पुस्तकालय ने सू.प्रौ. विशेषज्ञ पदों की भर्ती के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यहॉ तक कि पुस्तकालय और मंत्रालय दोनों ही सम्पूर्ण डिजीटाईजेशन प्रक्रिया की निगरानी करने में असफल रहे। इस निष्क्रियता के कारण ए.एल.आई.ओ. रेप्रोग्राफी/माइक्रो फोटोग्राफी के पदों को समाप्त कर दिया गया। जून 2015 तक पुस्तकालय ने सौ साल पूरानी समाचार पत्र का 10-15 प्रतिशत[5] का माइक्रो फिल्म बनाया और पुस्तकों/पांडुलिपियों के एक लाख पृष्ठों जिन्हें उन्होंने पुराना एवं दुर्लभ समझा, डिजीटाइजड किया। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एक्जिट कांफ्रेस में कहा कि भर्ती नियम (आर.आर.) में संशोधन प्रक्रियाधीन है और इस दौरान आउट सोर्सिंग की संभावनाओं को तलाशने का निदेश राष्ट्रीय पुस्तकालय को दिए जाएंगे।
	दुर्लभ पुस्तकों को उसकी मूल प्रति के साथ संपूर्ण संग्रह को डिजिटाइज करें और इलेक्ट्रानिक प्रति के देशव्यापी अभिगम की पूर्ति करें।	कोई प्रगति नहीं	पुस्तकालय ने दुर्लभ किताबों/दस्तावेजों के इलेक्ट्रानिक प्रति की देशव्यापी अभिगम की पूर्ति नहीं की। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एक्जिट कांफ्रेस में आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को डिजिटाइजेशन के लिए टेंडर तैयार करने का निदेश दिये जाऐंगे और जब डिजिटाइजेशन पूरा हो जाएगा तब ऑनलाइन अभिगम की सुविधा प्रदान की जाएगी।
1.8.3.3 उपचारात्मक परिरक्षण बाइंडिंग	एक स्पष्ट संरक्षण नीति तुरंत बनाई जानी चाहिए। संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किताबों के पहचान के	आंशिक रूप से क्रियान्वित	पुस्तकालय ने स्पष्ट संरक्षण नीति नहीं बनाई। संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किताबों की पहचान के लिए पुस्तकालय के विभिन्न अन्य

[5] 24 लाख छाया को माइक्रो फिल्म किया गया अर्थात 10000 बाइंड पुरानी और दुर्लभ समाचार पत्रों के 10-15 प्रतिशत।

	लिए प्रभागों और प्रयोगशाला के बीच के सहभागिता के स्तर को बढ़ाना होगा। बाईडिंग कार्य के मार्गदर्शन के लिए प्रारंभिक इकाई का गठन किया जाना चाहिए। बाइंडिंग का कार्य साइट पर प्रतिष्ठित फर्मों को आउटसोर्स किया जा सकता है।		प्रभागों और प्रयोगशाला के बीच सहभागिता की कमी पाई गई। इसके आगे स्टाफ की कमी के लिए मार्गदर्शन इकाई सन् 2013 से ही कार्य नहीं कर रही थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन प्रभागों के बीच 50 प्रतिशत से ज्यादा पद, इन पदों के नहीं भरें जाने के कारण समाप्त कर दिए गए। पुस्तकालय ने (दिसम्बर 2015) प्रयोगशाला प्रभाग में बाईडिंग कार्य के लिए 5 व्यक्तियों को आउटसोर्स किया। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एग्जिट कॉफ्रेंस में आश्वासन दिया कि पुस्तकालय को तीन महीने के भीतर एक स्पष्ट संरक्षण नीति बनाने के निदेश दिए जाएंगे। मंत्रालय ने यह भी आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय के समाप्त हुए पदों को पुन: प्रवर्तन करने हेतु कदम उठाने के लिए निर्देश देंगे।
	प्रयोगशाला प्रभाग में प्रशिक्षित और दक्ष कर्मचारियों की कमी थीं। इन कमियों को अन्य पुस्तकालयों से सहभागिता को मिलाकर प्रशिक्षण प्रभाग बनाकर, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम कर और कार्यशाला द्वारा दूर किया जाना चाहिए। बेहतर संरक्षण पद्धतियों हेतु आधुनिक तकनीकी जानकारी और उन्नत उपकरणों को लगाया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य पुस्तकों की अधिकतम आयु	आंशिक रूप से क्रियान्वित किए गए	पुस्तकालय ने न तो प्रशिक्षण प्रभाग का गठन किया और ना ही अन्य पुस्तकालयों से सहभागिता के जोड़ते हुए कार्यशाला और नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाए गए। यहॉ तक कि पुस्तकालय ने मई 2015 तक अन्य संस्थानों के साथ संबंधित विषयों पर संरक्षण, डिजिटाइजेशन विश्वविद्यालय कोर्स प्रायोजित करने का विचार नहीं किया। मंत्रालय ने (मार्च 2016) एक्जिट कॉफ्रेंस में आश्वासन दिया की आधारभूत प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय

	होनी चाहिए।		पुस्तकालय को निर्देश दिए जाएंगें।
	पुस्तकालय को अन्य संस्थाओं के सहयोग से संरक्षण, डिजिटाइजेशन और संबंधित विषयों पर विश्वविद्यालय प्रायोजित पाठ्यक्रमों पर विचार करना चाहिए।		
1.8.3.4 मैक्रो इनवारमेंट की निगरानी	विभिन्न स्थानों पर एकत्रित संग्रह के मैक्रो इनवारमेंट को एक निर्धारित सीमा के भीतर अनुरक्षित रखने की आवश्यकता थी एवं पुस्तकालय को बहुमूल्य संग्रह की आयु लम्बे समय तक बनी रहे ऐसी निगरानी स्वयं करनी चाहिए।	मामूली प्रगति	पुस्तकालय मैक्रोइनवारमेन्ट को निर्धरित सीमा में रख की बहुमूल्य संग्रहों को लम्बे समय तक सुरक्षित रखने के निगरानी कार्य को करने में असफल रहा था। एग्जिट सम्मेलन में मंत्रालय (मार्च 2016) ने यह भरोसा दिलाया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को एक अधिकारी नियुक्त करने का निदेश दिया जाएगा जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ताप तथा आद्रता को नियंत्रित करने हेतु समन्वय स्थापित करेगा।
	एक अग्निशामक योजना लाए जाने की आवश्यकता थी तथा तथा इससे संबंधित कर्मचारियों को आवधिक कृत्रिम अभ्यास में शामिल किया जाना था।	कोई प्रगति नहीं	पुस्तकालय ने कोई भी अग्निशामक योजना तैयार नहीं की और कर्मचारियों को अग्निशामक प्रशिक्षण भी नहीं दिलवाया। यहॉ तक कि पुस्तकालय ने पश्चिम बंगाल अग्निशामक दस्ता से आवश्यक अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किया। एग्जिट सम्मेलन में मंत्रालय ने यह आश्वस्त किया कि (मार्च 2016) मामलें को गंभीरता से लिया जाएगा तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहयोग से प. बंगाल सरकार से आवश्यक सुरक्षा प्रमाण पत्र ले लेगा।

1.8.4 नियंत्रण मुद्दे। 1.8.4.1 पुस्तको के संचलन की निगरानी	विभिन्न कार्यों जैसे प्राप्ति अनुभाग में पुस्तकों का मुद्रांकन एवं छंटाई, पावती भेजना, पुस्तकों के गट्ठर को खोलना तथा रजिस्टर में संगत पुस्तकों का इंदराज करना आदि के लिए मानदंड बनाना तथा लागू करना जैसे आंतरिक नियंत्रण के रूप में कदम उठाना।	आंशिक रूप से लागू	पुस्तकालय कई विभिन्न प्रसंस्करण कार्यों के अभियान सफल करने में नाकाम रहा है। रिकार्ड की नमूना जाँच यह प्रकट करती है कि 'केन्द्रीय छंटाई अनुभाग' ने पुस्तकों में गट्ठर को नियत स्थान पर भेजने में 14 से 47 दिन का समय लिया। आगे लेखापरीक्षा ने सात प्रभाग[6] के माह[7] का रिकार्ड परीक्षण में यह पाया कि 6 विभाग (बंगला[8] को छोड़कर) पुस्तकों को स्टॉक तक भेजने की प्रक्रिया में 2 से 15 मास का समय लिया। पुस्तकालय ने (जनवरी 2016 में) उपर्युक्त कारण के लिए श्रमशक्ति की कमी का आरोप लगाया। मंत्रालय ने एग्जिट सम्मेलन में आवश्वस्त किया कि रिक्त पदों पर नियुक्ति तथा भर्ती नियमों में जहाँ आवश्यक हो संशोधन करने का निदेश देगें।
1.8.4.2 स्टाक सत्यापन	पुस्तकालय में स्टाक सत्यापन हेतु एक वार्षिक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए जो कि सभी प्रभागों को तथा सभी संग्रहो का चरणबद्ध तरीके से सत्यापन करने के लिए हो। सभी प्रभागो का निर्धारित आवधिकता से सत्यापन करना चाहिए। सत्यापन अभियान में तेजी लाने के लिए पुस्तकालय प्रबंधन को तकनीकी सलाह लेनी चाहिए जैसे 'आर एफ आई डी' (रेडीयो फ्रेक्वेंसी आईडेन्टीफीकेशन टेगींग) पुस्तकालय का आंतरिक नियंत्रण तंत्र मजबूत होना चाहिए। सामग्रियों की चोरी रोकने के	मामूली प्रगति	पुस्तकालय ने सभी प्रभागों का चरणबद्ध तरीके से स्टॉक सत्यापन की योजना तैयार नहीं की। यहाँ तक कि, पुस्तकालय ने आर एफ आई डी (रेडीयो फ्रिक्वेशी आईडेन्टीफीकेशन) को लाने के लिए कोई भी तकनीकी सलाह नहीं ली। मई 2011 में एक निजी कंपनी[9] द्वारा किए गए प्रत्यक्ष सत्यापन में 42 प्रभागों में केवल 25 प्रभागों को ही शामिल किया जा सका। अनुवर्ती लेखापरीक्षा में पुस्तकालय ने बताया कि (जनवरी 2016) आर एफ आई डी परियोजना हेतु नई निविदा की तैयारी हो रही है। पुस्तकालय ने रेंडम बार कोड़ीग सिस्टम को अपनाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि चोरी की रोकथाम हो सके। मंत्रालय ने एग्जिट सम्मेलन में (मार्च 2016) आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को आर एफ आई डी को शुरू

[6] संस्कृत, मंत्रालय, असमीया, तमील, हिन्दी बंगाली और ओडीया

[7] स्टैक में भेजी गई कुल पुस्तकों में से 10 पुस्तकें यादृच्छिक रूप से चुन ली गई जिस प्रभाग के स्टैक में (संस्कृत, मंत्रालय, हिन्दी और बंगाली पुस्तक मार्च 2015) थे वह मार्च के लिए। जिस प्रभाग से ओडीया में भेजा गया उसके लिए अप्रैल तथा मई महीना असमीय, तमिल के लिए चुना गया क्योंकि इन तीनों प्रभागों से एक भी पुस्तक स्टैक में नहीं भेजी गई थी।

[8] बंगाली प्रभाग ने 1 से 24 दिन लिए।

[9] मैसर्स डाटासॉफ्ट कम्प्यूटर प्राइवेट लिमिटेड

	लिए रेन्डम बार कोडीगं सिस्टम को अपनाना चाहिए।		करने का निदेश दिया जाएगा।
1.8.4.3 सुरक्षा प्रणाली/ व्यवस्था	पुस्तकालय की सुरक्षा को पर्याप्तरूप से मजबूत करने की आवश्यकता है।	आंशिक रूप से लागू हुआ।	69 सी सी टीवी[10] को छोड़कर पुस्तकालय अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाने में विफल रहा। लगभग सभी सुरक्षा उपकरण जैसे वॉकी-टाकी, सर्च लाइट, हैन्ड मेटल डिटेक्टर या तो काम नहीं कर रहे या मरम्मत से ठीक न होने वाले हैं। मंत्रालय ने एगजिट सम्मेलन में कहा कि (मार्च 2016) राष्ट्रीय पुस्तकालय को सुरक्षा तंत्र की मजबूती के लिए निदेश दिया जाएगा।
1.8.5. पाठको की सेवा 1.8.5.1 ऑनसाईट सेवाएं	पुस्तकालय को चाहिए कि पाठकों को मूल्य संवर्धित सेवाएं प्रदान करे एवं ऐसी सेवाओ का उच्चतम लाभ उठाने के लिए अवसर प्रदान करे।	आंशिक रूप से लागू	पुस्तकालय द्वारा सब्सक्राइब एक ई-रिसोर्स केन्द्र जिसमें 70 टर्मिनल (वर्तमान में 55 इन्टरनेट से लैस) मई 2015 में इ-रिसोर्स के अभिगमन हेतु कार्यान्वित किया गया। इसके अलावा पाठको को कोई मूल्य वर्धित सेवा नहीं प्रदान की गई। तथापि पुस्तकालय ओपीएसी को संचालित तथा सभी के सूचीपत्रों को केन्द्रीकृत करने के लिए काम नहीं कर सका। लेखापरीक्षा ने यह नोट किया कि पूरे देश में पाठकों को पुस्तकालय के संपूर्ण संग्रहण के केवल 33 प्रतिशत[11] तक ही पहुंच थी। पुस्तकालय ने दूरवर्ती प्रयोक्ताओं को सुदूर सेवा प्रदान करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की सिवाय 2010-15 के दौरान मेल द्वारा प्रतिक्रिया देने के जिसके कारण रिकार्ड पर नहीं थे। मंत्रालय ने अपने एग्जिट कांफ्रेंस में यह सुनिश्चित किया (मार्च 2016) कि शीघ्र ही वे राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्राधिकृत प्रयोक्ताओं को अनुमोदित ई-संसाधनों तक देशव्यापी ऑन-लाईन पहुँच प्रदान की जाएगी। मंत्रालय ने यह भी सुनिश्चित किया कि नेशनल लाइब्रेरी संपूर्ण लाइब्रेरी के डाटा को ओपीएसी में फीड करने की प्रक्रिया तीव्र करेगा।
	देश भर के पाठकों तक संग्रह को पहुँचाने के लिए ऑनलाईन पब्लिक एक्सेस कैटा लॉग को सक्षम बनाने हेतु तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।		
1.8.5.2 खोज सेवा: ऑनसाईट और दूरस्थ	पुस्तकालय को सभी पुस्तक सूची केंद्रीयकृत रूप से उपलब्ध करानी चाहिए।	आंशिक रूप से लागू	
	पाठकों का वर्गीकरण बेहतर आवश्यकता आधारित सेवाओं के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए पाठक द्वारा अनुरोध किए गए पुस्तकों की खोज और सक्षमता से करनी चाहिए और नजदीक से मॉनीटर करनी चाहिए।		
1.8.6 ग्रंथ सूची की सेवा 1.8.6.1 रिट्रोस्पेटिव	कोई विशिष्ट अनुशंसा नहीं। सितम्बर 2002 में संकल्पित परियोजना में ग्रंथ सूची का	मामूली प्रगति	पुस्तकालय ने रेट्रोकोन परियोजना को पुन: जनवरी 2010 में शुरू किया लेखापरीक्षा ने नोट किया कि पुस्तकालय ने अप्रैल 2014

[10] मुख्य भण्डारण अनुभाग के विभिन्न हिस्सों में जैसे: मुख्य भंडारण अनुभाग, वाचनालय इत्यादि में कुल 73 सी.सी.टी.वी. कैमरा स्थापित किए गए जिसमें से 4 काम नहीं कर रहे थें।

[11] 25.13 लाख उपलब्ध डाटा में से, लेन द्वारा लाइब्रेरी के साथ उपलब्ध 16.5 लाख इलेक्ट्रानिक डाटा तथा वेब द्वारा केवल 8.19 लाख अभिलेख (जुलाई 2015) उपलब्ध थे।

कनवर्सन रिट्रोकॉन प्रोजेक्ट पीएआर का (*पैरा* 1.8.6.1)	केवल सात प्रतिशत ही मशीन रीडेबल कैटालोगिंग (एमएआरसी 21) प्रारूप में रिकार्ड हो सका।		तक चार ऐजेन्सी को ₹3.20 करोड़ निर्गत किया इसमें रेट्रो रूपांतरण शुल्क 11 लाख डेटा 25 लाख डाटा में से जिसमें 5.28 लाख अमान्य डाटा का 1.59 करोड़ का भुगतान शामिल था। मंत्रालय ने एग्जिट कांफ्रेंस (मार्च 2016) में सुनिश्चित किया कि नेशनल लाइब्रेरी को बचे हुए डाटा के रेट्रो कनवर्जन परियोजना को शुरू करने का निदेश दिया जाएगा।
1.8.6.2 ग्रंथ सूचियों के क्रियाकलापों को प्रतिलिपिकरण	डेटाबेस को केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय से साझा करने के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय को द्रुत कदम उठाने चाहिए जिससे कि इसके स्तर में तेजी आए इससे राष्ट्रीय पुस्तकालय को विभिन्न भारतीय भाषाओं के विशेषज्ञ की कमियों को दूर करने में सहायता मिलेगी।	कोई प्रगति नहीं।	लेखापरीक्षा ने नोट किया कि न तो पुस्तकालय और न ही मंत्रालय केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय के साथ तालमेल के लिए कोई कदम उठाया। मंत्रालय ने एक्जिट कंफ्रेंस में कहा कि (मार्च 2016) इस मामले को देखने के लिए एक समिति बना दी गई है।
	पुस्तकालय को ग्रंथसूचियों के क्रियाकलापों को अन्य भारतीय नामित सार्वजनिक पुस्तकालय से साझा करने में (नोडल) मुख्य भूमिका निभानी चाहिए।	कोई प्रगति नहीं।	ग्रंथ सूचियों को क्रियाकलापों को भारत वर्ष में फैले अन्य नामित सार्वजनिक पुस्तकालय से साझा करने की और कोई शुरूआत नहीं की गई। मंत्रालय ने एक्जिट सम्मेलन में (मार्च 2016) में आश्वस्त किया कि भारत के अन्य नामित सार्वजनिक पुस्तकालय से ग्रंथसूचियों को साझा करने के नये उपायों को खोजने तथा उस पर बल देने के लिए पुस्तकालय को निदेश दिया जाएगा।

23.1.1.3 निष्कर्ष

अनुवर्ती लेखापरीक्षा यह प्रकट करती है कि पुस्तकालय ने भारत में प्रकाशित पुस्तको के डेटा बेस को तैयार नहीं किया, विभिन्न भाषा प्रभाग में श्रम शक्ति को तर्कसंगत सिद्ध नहीं किया, पुस्तकों के प्रसंस्करण में तेजी हेतु रिक्त पदों की भर्ती भी नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय ने संरक्षण तथा डिजिटलीकरण के लिए कोई नीति नहीं बनाई तथा सभी प्रभागों के स्टॉक सत्यापन तथा सुरक्षा की मजबूती के लिए प्रर्याप्त प्रयास नहीं किए गए। पुस्तकालय पाठकों के लिए मूल्य वर्धित सेवा उपलब्ध कराने तथा सभी ग्रंथसूचियों के अभिलेख का रेट्रो रूपांतरण करवाने में विफल रहा।

एक्जिट सम्मेलन (मार्च 2016) में मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुस्तकालय को निर्देश देने का आश्वासन दिया कि पुस्तकालय अपनी उपलब्ध श्रमशक्ति का भरपूर उपयोग करेगा तथा पुस्तकों के प्रसंस्करण/सरंक्षण/डिजिटलीकरण के लिए रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगा तथा जहाँ आवश्यक हो आटसोर्सिगं द्वारा कार्य को पूरा करने का उपाय करेगा। मंत्रालय ने यह भी आश्वस्त किया कि राष्ट्रीय पुस्तकालय को निदेश जारी करेगा कि डिजिटलीकरण के लिए निविदा निकालेगा और एक स्पष्ट संरक्षण नीति तीन महीने के भीतर, सुरक्षा पुख्ता करने का प्रयास तथा सभी ग्रंथसूची अभिलेख का रेट्रो रूपांतरण किया जाएगा।

(मुकेश प्रसाद सिंह)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय व्यय

नई दिल्ली
दिनांक: 27 अप्रैल 2016

प्रतिहस्ताक्षरित

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 28 अप्रैल 2016